



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042024-253698
CG-DL-E-13042024-253698

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1598]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 10, 2024/चैत्र 21, 1946

No. 1598]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 10, 2024/CHAITRA 21, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2024

का.आ. 1683(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 510 तारीख 05/02/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में NH161 (New) के कि.मी. 2.826 से कि.मी.20.200 (एँस्डीओ एँल्एओ आफिस अकोला) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "15 फरवरी 2024" को "दैनिक देशोन्नती" और "दैनिक हितवाद" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में NH161 (New) के कि.मी. 2.826 से कि.मी.20.200 (एँस्डीओ एँल्एओ आफिस अकोला) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: अकोला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अकोला					
गांव का नाम: हिंणना म्हेसपुर					
1	63/2	निजी	कृषक	0.0244	(मुल मलक-प्रल्हाद गोविन्द इंगोले) तबा-श्रीकृष्ण जयराम अहिर 63/2
गांव का नाम: कापशी रोड					
2	215	निजी	कृषि	0.0037	भावेश विष्णु इंगले
3	215	निजी	कृषि	0.0032	(मुल मलक- भावेश विष्णु इंगले) तबा- रामचंद्र सोलंके
4	215	निजी	कृषि	0.0036	(मुल मलक-भावेश विष्णु इंगले) तबा- दीपक पुंडलिक ठाकरे 215
5	215	निजी	कृषि	0.0125	वैशाली राजेश इंगले ,अमित शांताराम टायडे 215
6	215	निजी	कृषि	0.005	गजानन किसान पांडव 215
7	215	निजी	कृषि	0.01	(मुल मलक- गजानन किसान पांडव) तबा- नरेंद्र किसान पांडव
8	गावठाण	अन्य	अकृषक	0.0032	गौथन-पार्वतीबाई राममूर्ति केवट Gaothan
9	गावठाण	अन्य	अकृषक	0.0013	गौथन- रामदास नारायण गाडे Gaothan
10	गावठाण	अन्य	अकृषक	0.003	गौथन- संजय रघुनाथ केवट Gaothan
11	गावठाण	अन्य	अकृषक	0.006	गौथन- रामसुमेर राजाराम केवट Gaothan

12	गावठाण	अन्य	अकृषक	0.004	गौथन-अमृतलाल जवाहर केवट Gaothan
13	गावठाण	अन्य	अकृषक	0.004	फुलपटियाबाई जवाहर केवट Gaothan
14	गावठाण	अन्य	अकृषक	0.0041	गौथन- सोमनाथ सुकू केवट Gaothan
15	गावठाण	अन्य	अकृषक	0.004	गौथन-राजकुमार सुकू केवट Gaothan
16	गावठाण	अन्य	अकृषक	0.009	गौथन-किसान जगदेव केवट Gaothan
17	गावठाण	अन्य	अकृषक	0.0083	गौथन-जितेंद्र नंदू यादव Gaothan
18	गावठाण	अन्य	अकृषक	0.0077	गौथन-श्यामकली भोलाराम यादव Gaothan
19	गावठाण	अन्य	अकृषक	0.0018	गौथन-राजेश राममूर्ति केवट Gaothan
20	गावठाण	अन्य	अकृषक	0.0021	गौथन- सावित्रीबाई राममूर्ति केवट Gaothan
21	गावठाण	अन्य	अकृषक	0.0012	गौथन- प्रकाश मुकिंदा अंभोरे Gaothan
22	गावठाण	अन्य	अकृषक	0.0019	गौथन-पाशु वैद्यकीय अधिकारी, ज़ड्पी अकोला Gaothan
कुल योग				0.124	

[फा. सं. NHAI/NAGPUR/AMRAVATI/LA/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2024

S.O. 1683(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 510 Dated:05/02/2024 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH161 (New) in the stretch of land from Km. 2.826 to Km. 20.200 (SDO LAO Office Akola) in the district of AKOLA in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Deshonnati” and “Dainik Hitwada” both dated 15th February 2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH161 (New) in the stretch of land from Km. 2.826 to Km. 20.200 (SDO LAO Office Akola) in the district of AKOLA in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: AKOLA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Akola					
Village: Hingana Mhaispur					
1	63/2	Private	Agriculture	0.0244	(Mul malak-Pralhad Govind Ingle) Taba-Shrikrushn Jayram Ahir 63/2
Village: KAPSHI ROAD					
2	215	Private	Agriculture	0.0037	Bhavesesh Vishnu Ingle
3	215	Private	Agriculture	0.0032	(Mul Malak- Bhavesesh Vishnu Ingle) Taba-Ramchandra Solanke
4	215	Private	Agriculture	0.0036	(Mul Malak-Bhavesesh Vishnu Ingle) Taba-Deepak Pundlik Thakre 215
5	215	Private	Agriculture	0.0125	Vaishali Rajesh Ingle ,Amit Shantaram Tayde 215
6	215	Private	Agriculture	0.005	Gajanan Kisan Pandav 215
7	215	Private	Agriculture	0.01	(mul malak- Gajanan Kisan Pandav) Taba-Narendra Kisan Pandav
8	Gaonthan	Common	Non-Agriculture	0.0032	Gaothan-Parvatibai Rammurti Kevat Gaothan
9	Gaonthan	Common	Non-Agriculture	0.0013	Gaothan- Ramdas Narayan Gade Gaothan
10	Gaonthan	Common	Non-Agriculture	0.003	Gaothan- Sanjay Raghunath Kevat Gaothan
11	Gaonthan	Common	Non-Agriculture	0.006	Gaothan- Ramsumer Rajaram Kevat Gaothan
12	Gaonthan	Common	Non-Agriculture	0.004	Gaothan-Amrutlal Jawahar Kevat Gaothan

13	Gaonthan	Common	Non-Agriculture	0.004	Fulpatiyabai Jawahar Kevat Gaonthan
14	Gaonthan	Common	Non-Agriculture	0.0041	Gaonthan- Somnath Suku Kevat Gaonthan
15	Gaonthan	Common	Non-Agriculture	0.004	Gaonthan-Rajkumar Suku Kevat Gaonthan
16	Gaonthan	Common	Non-Agriculture	0.009	Gaonthan-Kisan Jagdev Kevat Gaonthan
17	Gaonthan	Common	Non-Agriculture	0.0083	Gaonthan-Jitendra Nandu Yadav Gaonthan
18	Gaonthan	Common	Non-Agriculture	0.0077	Gaonthan-Shyamkali Bholaram Yadav Gaonthan
19	Gaonthan	Common	Non-Agriculture	0.0018	Gaonthan-Rajesh Rammurti kevat Gaonthan
20	Gaonthan	Common	Non-Agriculture	0.0021	Gaonthan- Savitribai Rammurti Kevat Gaonthan
21	Gaonthan	Common	Non-Agriculture	0.0012	Gaonthan- Prakash Mukinda Ambhore Gaonthan
22	Goanthan	Common	Non-Agriculture	0.0019	Gaonthan-Pashu Vaidyakiy Adhikari, ZP Akola Gaonthan
Total				0.124	

[F. No. NHAI/NAGPUR/AMRAVATI/LA/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.